**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3099

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**मध्याह्न भोजन योजना के तहत मजदूरी**

**3099. श्री के॰ रहमान खानः**

**प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडाः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत मुख्य रसोइये, रसोइये तथा सहायकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में प्रस्तावित मजदूरी से बहुत कम भुगतान किया जा रहा है;

(ख) योजना के तहत भोजन तैयार करने के काम में लगे मुख्य रसोइये, रसोइये तथा सहायकों को भी भत्तों सहित वर्तमान में कितना वेतन प्रदान किया जा रहा है; और

(ग) सरकार इस समस्या का किस प्रकार समाधन करने तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी प्रदान करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) से (ग): एमडीएम दिशानिर्देशों में परिकल्‍पना की गई है कि 25 छात्रों तक एक रसोइया-सह-सहायक (सीसीएच), 26 से 100 छात्रों तक 02 रसोइया-सह-सहायक तथा 100 छात्रों तक की प्रत्‍येक बढ़त के साथ एक अतिरिक्‍त रसोइया-सह-सहायक रखा जाता है। मध्‍याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) राज्‍यों एवं संघ-राज्‍य क्षेत्रों की भागीदारी में कार्यान्‍वित की जाती है। पात्र बच्‍चों को पका हुआ एवं पौष्‍टिक भोजन उपलब्‍ध करवाने का समग्र दायित्‍व राज्‍य सरकारों एवं संघ-राज्‍य क्षेत्र प्रशासन का है और वे योजना के मानदंडों के अनुसार रसोइया-सह-सहायकों को (सीसीएच) रखते हैं।

मध्‍याह्न भोजन को तैयार करने एवं परोसने के लिए योजना के तहत रखे हुए सीसीएच मानद कार्यकर्ता होते हैं, जो सामाजिक सेवा देने के लिए आगे आए हैं। उनकी सेवाओं को मान देने के लिए सीसीएच को 1.12.2009 से एक वर्ष में 10 महीने के लिए 1000/- रूपये प्रतिमाह की दर से बतौर मानदेय दिया जाता है, यह मानदेय होता है ना कि मजदूरी। इस मानदेय व्‍यय को अनुमोदित भागीदारी पद्धति के आधार पर, केन्‍द्र सरकार तथा राज्‍य एवं संघ-राज्‍य क्षेत्रों के बीच साझा किया जाता है। कुछ राज्‍य सरकार एवं संघ-राज्‍यक्षेत्र प्रशासन अपने संसाधनों से अतिरिक्‍त निधियां देकर मानदेय की पूर्ति भी करते हैं।

**\*\*\*\*\***